भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4709

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

15वें वित्त आयोग द्वारा केरल को स्वास्थ्य के लिए स्थानीय अनुदान

4709. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 15वें वित्त आयोग द्वारा केरल में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्थानीय अनुदान हेतु अनुशंसित समग्र आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय स्वास्थ्य निकायों की परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा केरल राज्य सरकार को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित धनराशि के समग्र उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली कुल धनराशि का प्रतिशत कितना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): 15वें वित्त आयोग (एफसी-XV) स्वास्थ्य अनुदान को केंद्रीय बजट 2021-22 के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में कमियों को दूर करना था। 15वें वित्त आयोग के तहत व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के लिए धनराशि जारी की जाती है, जिसके प्रस्तावों की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुशंसा की जाती है। 15वें वित्त आयोग ने निम्न वर्ष-वार, घटक-वार और ग्रामीण एवं शहरी-वार विवरण के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की निर्धारित अवधि के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से केरल को कुल 2968 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य अनुदान के लिए आवंटन की अनुशंसा की है;

ग्रामीण:							(करोड़ रु.में)
क्र.सं.	स्वास्थ्य अनुदान घटक	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1.	एससी में नैदानिक अवसंरचना के लिए सहायता	39.61	39.61	*41.60*	43.68	45.86	**210.36**
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नैदानिक अवसंरचना के लिए सहायता	49.58	49.58	*52.06*	54.66	57.39	**263.27**
3.	बीपीएचयू	30.59	30.59	32.12	33.72	35.41	**162.43**
4.	भवनविहीन उप-केंद्र, पीएचसी, सीएचसी	0.5	0.5	0.52	0.55	0.58	**2.65**
5.	ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र में परिवर्तित करना	105.43	105.43	110.70	116.23	122.04	**559.83**
	कुल (ग्रामीण)	**225.71**	**225.71**	**237**	**248.84**	**261.28**	**1198.54**
शहरी:							
1.	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नैदानिक अवसंरचना के लिए सहायता	11.05	11.05	*11.61*	12.19	12.80	**59**
2.	शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र (एचडब्ल्यूसी)	322.22	322.22	338.34	355.25	373.01	**1711**
	कुल (शहरी)	**333.27**	**333.27**	**349.95**	**367.44**	**385.81**	**1770**

i. (एससी):- उप-स्वास्थ्य केंद्र	*iii. (पीएचसी):-* प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
ii. (सीएचसी):- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	*iv. (एचडब्ल्यूसी) :-* स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र
	v. (बीपीएचयू):- ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाई

(ग) से (ङ): वर्ष 2021-22 से 2024-25 (20-03-2025 तक) के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी किए गए अनुशंसित स्वास्थ्य अनुदान का विवरण, केरल राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई धनराशि के प्रतिशत के साथ-साथ निधियों के समग्र उपयोग का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु.में)

विवरण	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
जारी की गई कुल राशि **(दिनांक 20-03-2024 की स्थिति के अनुसार)**	557.65	558.97	176.91	0.00
उपयोग की गई कुल राशि **(दिनांक 12-03-2024 की स्थिति के अनुसार)**	465.41	209.00	0.00	उपलब्ध नहीं
उपयोग की गई राशि का प्रतिशत **(दिनांक 12-03-2024 की स्थिति के अनुसार)**	83.46	37.39	0.00	उपलब्ध नहीं

****